भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2008

गुरूवार, 12 दिसम्बर, 2024 / 21 अग्रहायण, 1946 (शक)

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर

2008. श्री नीरज डांगी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का उद्देश्य क्या है;

(ख) इस योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार, कौशल एवं अन्य अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) उक्त योजना में भाग लेने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत कितनी नौकरियां प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए किसी निगरानी तंत्र की स्थापना की है कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): सरकार ने रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1,07,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ "प्रधानमंत्री रोजगार और कौशल निर्माण पैकेज" के भाग के रूप में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव किया है। इस योजना में नियोक्ताओं और

जारी..2/-

कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है और सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

भाग-क : इस योजना से 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ होने की अपेक्षा है।

भाग-ख : इस योजना से रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ होने की अपेक्षा है।

भाग-ग : इस योजना से 50 लाख व्यक्तियों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन प्राप्त होने की अपेक्षा है।

यह योजना औपचारिक क्षेत्र के उन सभी प्रतिष्ठानों के लिए खुली है, जो योजना नामांकन अवधि के दौरान ईपीएफओ के साथ पंजीकृत हैं / पंजीकृत होंगे।

******